SHRI RANJEET SINGH SHIKSHAN SANSTHAN

BORLI JHAB, THE-CHITALWANA DIST.-JALORE (RAJ) 343040
(Recognized by Govt. of Rajasthan & Affiliated to JNVU Jodhpur)
E-mail : srscjhab@gmail.com

Course Wise Fee Details

Sr No.	Course	Fees
1	B.A.	6000
2	B.Sc.	12000
3	M.A.	8000
4	B.A.-B.ED	27000
5	B.Sc.-B.ED.	27000

Secretary
Shri Ranjeet Singh Shikshan Sansthan
Jhab (Jalore)

Scanned by Camera Scanner

(1)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा–4/2009पार्ट दिनांक: 31 मई, 2019

आदेश

शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019–20 के लिए शुल्क

राज्य के गैर–अनुदानित शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों के 2018–19 के वार्षिक शुल्क के संबन्ध में जारी विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018, अकादमिक सत्र 2019–20 के लिए भी लागू होगा।

(डॉ० राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन (एनसीटीई), हंस भवन, विंग–।।, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन (एनआरसी–एनसीटीई), G–7, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली 110075।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
15. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
17. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
20. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक F34(Fee) B.Ed/आयोग/2019/255 दिनांक 03.6.2019
प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर
कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

विनय कुमार वी.
विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 11 (3) शिक्षा–4/2009पार्ट दिनांकः 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018–19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर–अनुदानित शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018–19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा–आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.–बी.एड./ बी.एड.– एम.एड. बी.एस.सी.–बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	**26880.00**	**22320.00**	**22320.00**	**26880.00**

*(क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध–शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:–

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा–आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.–बी.एड./ बी.एस.सी.–बी.एड/ बी.एड.– एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कॉशन मनी *	180	180	180	180
3.	प्रमाण–पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	बिजली–पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	**2280**	**2280**	**2280**	**2280**

Scanned with OKEN Scanner

(B)	छात्र कोष				
1.	खेलकूद	180	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180	180
	योग (B)	**2160**	**2160**	**2160**	**2160**
महायोग (A+B)		**4440.00**	**4440.00**	**4440.00**	**4440.00**
(* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)					

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018–19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कॉशन मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबन्धित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कैशलैस विकल्प उपलब्ध करवाएं।

(डॉ0 राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक,एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि–।।, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

Scanned with OKEN Scanner

(4)

13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलसचिव, जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय,
23. कुलसचिव, डीम्ड विश्वविद्यालय,
24. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
25. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
26. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
28. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा ग्रुप–5) विभाग, सचिवालय।
29. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, प्री–बी.पी.एड व प्री–एम.पी.एड परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा 2018, जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
33. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर–वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(नोटः–प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाईट पर अपलोड करवायें तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018–19 के लिए निर्धारित शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायें)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक F.24(Fee) वी.स/आका.शि/2018/206 दिनांक 23.03.2018

प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

23.3.18
23.3.18

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner